



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1579/MH/11/2023-ESDW

NOTICE

दिनांक: 05.07.2023

श्री संजय मीणा,
जिला कलेक्टर,
जिला-गडचिरोली,
डिप्टी कलेक्टर कार्यालय,
जिला- गडचिरोली,
महाराष्ट्र - 442605
ई-मेल: rdcgadchiroli@gmail.com

डॉ. हर्षदीप कांबले,
प्रमुख सचिव,
उद्योग विभाग,
महाराष्ट्र शासन,
ऐनेक्स बिल्डिंग मंत्रालय,
मुंबई, महाराष्ट्र
ई-मेल: psec.industry@maharashtra.gov.in

श्रीमति विनीता वेद सिंगल,
प्रमुख सचिव,
श्रम विभाग,
महाराष्ट्र शासन,
ऐनेक्स बिल्डिंग मंत्रालय,
मुंबई, महाराष्ट्र
ई-मेल: psec.labour@maharashtra.gov.in

विषय: समाचार कतरन, लोकमत न्यूज़, गडचिरोली, महाराष्ट्र में प्रकाशित समाचार "एक महीने से आदिवासियों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन की अनदेखी," करने के सम्बन्ध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को समाचार कतरन, लोकमत न्यूज़, गडचिरोली, महाराष्ट्र में प्रकाशित समाचार "एक महीने से आदिवासियों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन की अनदेखी," करने के सम्बन्ध में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुये भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 03 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.


(हरि राम मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।